रबड़ उत्पाद विनिर्माण के लिए रबड़ अर्जित करने या खरीदने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु प्रपत्र डी में आवेदन भरने के लिए मार्गदर्शन

रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 14 के अधीन बोर्ड द्वारा जारी विशेष या सामान्य लाइसेंस के अधीन या शर्तों के अलावा कोई भी व्यक्ति रबड़ बिक्री या बेच और रबड़ प्राप्त या खरीद नहीं कर सकते हैं।

रबड़ नियम 1955 का नियम 40 के अधीन कोई भी विनिर्माता रबड़ खरीद या प्राप्त करने के लिए विशेष लाइसेंस की माँग हेतु बोर्ड को प्रपत्र 'डी' में आवेदन दे सकते हैं। यदि बोर्ड अनुमोदन देता है तो, प्रपत्र 'ई' में लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।

उक्त कानूनी उपबंधों के अधीन प्रपत्र 'डी' संलग्न है। आवेदकों के लिए अनुदेश नीचे दिए हैं:-

(क) आवेदन प्रपत्र 'डी' में पूर्ण रूप से भरा हुआ और हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए। केवल पूर्ण रूप से भरे आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। यदि साझेदारी फर्म हो तो आवेदन सभी साझेदारों द्वारा हस्ताक्षरित होना है। लाइसेंस, अनुज्ञप्तिधारी को निर्दिष्ट मात्रा में विशेष ग्रूप/ग्रेड के रबड़ अर्जित करने के लिए होने के कारण आवश्यकता वास्तविकता के आधार पर प्रपत्र 'डी' में दिखानी चाहिए। प्राकृतिक रबड़ का सामान्य ग्रूप/ग्रेड नीचे दिए हैं:

ग्रूप 1 : आर एस एस IX एवं आर एस एस I
ग्रूप 2 : आर एस एस 2, आर एस एस 3 एवं कट्टिंग सं.1
ग्रूप 3 : आर एस एस 4, आर एस एस 5 एवं कट्टिंग सं.2
ग्रूप 4 : प्री कोयागुलेटड क्रीप पी एल सी IX, पी एल सी 1, पी एल सी 2, पी एल सी 3
ग्रूप 5 : ई बी सी सुपर IX, ई बी सी IX, ई बी सी 2X, स्मोक्ड ब्लांकेट एवं रीमिल्ड क्रीप 2
ग्रूप 6 : ई बी सी 3X, रीमिल्ड क्रीप 3 एवं रीमिल्ड क्रीप 4
ग्रूप 7 : फ्लाट बार्क
अन्य : स्क्राप एवं सोल क्रीप
लाटेक्स : परिरक्षित लाटेक्स (सामान्य, संकेन्द्रित कोंसेन्ट्रेट और क्रीम्ड कोंसेन्ट्रेट)
(मात्र शुष्क रबड़ संघटक का वज़न दिखाएं)

तकनीकी विनिर्दिष्ट रबड़ ठोस ब्लोक } आई एस एन आर-3 एल, आई एस एन आर 3 सी वी आई एस एन आर-5, आई एस एन आर-10, आई एस एन आर-20 आई एस एन आर – 50 और अन्य रूप

(ख) प्रति वर्ष या आंशिक रूप में लाईसेंस शुल्क की विनिर्दिष्ट दर नीचे दी हैं:-

मात्रा	रकम
(i) 4 टण तक रबड़ अर्जित करने के लिए	115 रुपए (अनुज्ञापन शुल्क 100 रु. + सेवा कर 15 प्रतिशत)

(ii) 4 टण से अधिक रबड़ अर्जित करने के लिए — 288 रुपए (अनुज्ञापन शुल्क 250 रु. + सेवा कर 15 प्रतिशत)

निदेशक (अनुज्ञापन एवं उत्पाद शुल्क), रबड़ बोर्ड के नाम कोट्टयम में देय डिमांड ड्राफ्ट/सममूल्य पर (एट पार) चैक द्वारा शुल्क प्रेषित किया जा सकता है। बाहरी स्टेशनों के चैक या डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोट्टयम-2 (आईएफएससी कोड-CBIN0284150) के रबड़ बोर्ड के अनुज्ञापन एवं उत्पाद शुल्क खाता सं.3173717326 में नेफ्ट द्वारा भी रकम जमा की जा सकती है। रबड़ बोर्ड वेबसाइट www.rbegp.org.in के लिंक द्वारा ऑनलाइन भुगतान का भी प्रावधान उपलब्ध है।

(ग) अद्यतन विवरणियाँ, रबड़ नियम 1955 के नियम 33 (च) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करने और शेष देय उपकर देने पर ही आवेदन पर विचार किया जाएगा। लेखा बहियों की गैर प्रस्तुति/बोर्ड के किसी अपेक्षाओं का गैर पालन भी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में विलंब ला सकता है। अतः यह आग्रह करता है कि आवेदक से यदि किसी विवरणी/लेखा परीक्षा रिपोर्ट/रबड़ पर उपकर देय हैं तो बिना विलंब उस को ब्याज सहित चुका दें तथा बिना विलंब बोर्ड की अपेक्षाओं का अनुपालन करें। (विद्यमान लाइसेंसधारियों के मामले में लागू)

(घ) कृपया ध्यान दें कि बोर्ड द्वारा जारी वैध लाइसेंस के बिना रबड़ की खरीद/अर्जन रबड़ अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है, जिसमें पूर्तिकार और खरीददार दोनों को दंड मिलेगा। केवल रबड़ बोर्ड को लाइसेंस के आवेदन प्रपत्र की प्रस्तुति एवं लाइसेंस शुल्क के प्रेषण से आवेदक वैध लाइसेंसधारी नहीं माना जाएगा जब तक कि आवेदक के नाम रबड़ बोर्ड द्वारा लाइसेंस जारी नहीं किया जाता। बोर्ड द्वारा मांगी गयी सभी औपचारिकताएं पूरा करने पर एक संभावित तिथि पर ही लाइसेंस निर्गमित किया जाएगा। अतः वर्तमान लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व अपना लाइसेंस निर्गमित करना कृपया सुनिश्चित करें। आवेदन का देरी से प्रस्तुत करना या अपूर्ण आवेदन लाइसेंस जारी करना विलंबित करेगा जिसके लिए किसी भी प्रकार से बोर्ड जिम्मेदार नहीं रहेगा। ऐसे असंतोषजनक परिस्थितियों से बचने के लिए आवेदक सुनिश्चित करें कि सभी सांविधिक विवरणियाँ/रिपोर्टें और ब्याज सहित बकाया उपकर देयताएं कोई हों तो प्रस्तुत की है/चुकाया है।

बोर्ड के वेबसाइट www.rbegp.org.in द्वारा ऑनलाइन में आवेदन प्रस्तुत करें तथा उसके बाद एक हस्ताक्षरित कागज़ी प्रति निम्न लिखित पते पर उप निदेशक उत्पाद शुल्क को 30 नवंबर या उससे पूर्व भेजें (विद्यमान लाइसेंस धारियों के मामले में लागू) क्योंकि सभी लाइसेंसों का ऑनलाइन निर्गमन अनिवार्य किया जा रहा है।

उपनिदेशक (उत्पाद शुल्क)
रबड़ बोर्ड, अनुज्ञापन व उत्पाद शुल्क विभाग
सब् जेल रोड, कोट्टयम - 686 002, केरल

(ड.) यदि कोई लाइसेंसधारी आगे के वर्षों के लिए लाइसेंस नहीं चाहता है तो, उक्त विषय बोर्ड को यथाशीघ्र लिखित रूप में सूचित करें। ऐसे मामले में वर्तमान लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।

कारोबार बंद करना, विनिर्माण प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ का उपयोग बंद करना आदि खबर बोर्ड को समय पर रिपोर्ट करना है, जिसपर चूक होने पर विवरणियों की प्रस्तुति, लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि देने के लिए खरीद शून्य होने पर भी यूनिट बाध्य होगा।

(च) बोर्ड के साथ सभी पत्राचार में लाइसेंस संख्या/पंजीकरण संख्या का उल्लेख करें।

(छ) <u>अन्य शर्तें</u>

अ. सभी संगत स्तंभ भरें तथा विवरण साफ और स्पष्ट अक्षरों में दें।

आ. जहाँ कहीं आवश्यक हैं सभी कागज़ात संलग्न करें।

इ. कोई भी स्तंभ खाली न छोड दें, लागू नहीं हो तो - भरें - लागू नहीं

ई. आवेदन की मद संख्या 3(सी) के सामने बिना चूक जिला, राज्य और पिन कोड जैसे विवरण दें।

उ. यदि उपलब्ध हों तो एसटीडी कोड, फैक्स सं., ई-मेल पता तथा सेल फोन संख्या दें।

ऊ. इंटरनेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड सेवाएं प्रयुक्त करके ऑनलाइन भुगतान प्रेषण की सुविधा वेबसाइट में उपलब्ध करायी है। ऑनलाइन प्रेषण के लिए उपयोक्ता पंजीयन की आवश्यकता नहीं। परंतु प्रेषण की पुष्टि के बाद प्राप्त यूटीआर संख्या उद्धृत करें/सूचित करें। भुगतान करता के बैंक खाता से मात्र विकलन किये जाने से आदाता खाते में जमा सुनिश्चित नहीं हो जाता है क्योंकि लेनदेन असफल होने की संभानाएं है। अगर कोई ऑनलाइन प्रेषण किसी भी कारणों से असफल रह जाता है कुछ दिनों के अंदर वह बैंक खाते में स्वतः वापस जमा हो जाएगी। ऐसे मामलों में बैंक/शाखा से संपर्क करें।

प्ररूप डी

(नियम 40 देखिए)

रबड़ बोर्ड

रबड़ खरीदने या अन्य प्रकार से प्राप्त करने के विशेष अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन

1.आवेदक का नाम :.. (बडे अक्षरों में)

2.रबड़ की आवश्यकता संबंधी विशिष्टियाँ और उसके ब्यौरे

(क) वर्ष	प्रथम चतुर्थांश		दूसरा चतुर्थांश		तीसरा चतुर्थांश		चौथा चतुर्थांश		कुल
	वर्ग	टण	वर्ग	टण	वर्ग	टण	वर्ग	टण	टण
(ख) आवेदित रबड़ का परिमाण एवं इसका अपेक्षित कालांश (लेटेक्स की दशा में सूखे रबड़ का भार दर्शाएं)									

(ग) पिछले साल का वास्तविक उपभोग (केवल नवीकरण हेतु)	वर्ग	टण	(घ) आवेदन की तारीख में या खरीदे और मार्ग में स्थित या सुपुर्दगी के लिए प्रतिक्षित रबड़ का स्टोक (केवल नवीकरण हेतु)	वर्ग	टण

3. सामान्य विशिष्टियाँ

(क) अनुज्ञप्ति फीसः	डिमांड ड्राफ्ट या मनी आर्डर या कैश प्राप्ति सं०	तारीख	रुपए	(ख)रजिस्ट्रीकरण सह अनुज्ञप्ति सं० (नवीकरण की दशा में लागू होना)

(ग) कार्यालय, फैक्टरी आदि का पताः

कार्यालय का पता	फैक्ट्री का पता	भंडार का स्थान/डीपो का पता
(घ) टेलीफोन/ई-मेल पता, यदि कोई होः		

4. अन्य विशिष्टियाँ

(क) लघु उद्योग/विक्रय कर/मूल्य वर्धित कर-रजिस्ट्रीकरण सं०/ पंचायत/ नगरपालिका/नगरनिगम अनुज्ञप्ति सं० और तारीखः *(नए आवेदन की दशा में सुसंगत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/अनुज्ञप्ति की फोटोप्रति देनी होगी)*	

(ख) (i) विद्युत उपभोक्ता संख्या और बिजली संयोजन की तारीख यदि पहले ही बिजली संयोजन हुआ हैः (ii) शास्ति प्राप्त होने के बाद यदि बिजली संयोजन प्रतीक्षारत है, बिजली संयोजन की अनुमानित तारीखः *(नए आवेदन की दशा में, बिजली संयोजन के लिए शास्ति पत्र की फोटोकापी देनी होगी)*	

5. बैंककार और ब्रांच का नाम, यदि कोई होः

6. प्राकृतिक रबड़ के प्रयोग द्वारा विनिर्मित उत्पादः (*मदों को कथित करें*)

7. पिछले वित्तीय वर्ष (20.......... 20...........) के दौरान विनिर्मित उत्पादों के ब्यौरेः

क्रम संख्या	उत्पाद का नाम	लगाने की क्षमता	वास्तविक उत्पादन	प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक रबड़ की मात्रा (टन)

टिप्पणः 1. लगाने की क्षमता यथास्थिति कथित होगी या तो वे भार में हो या संख्या में हो

2. प्रयोग किए जाने वाले रबड़ की मात्रा प्रत्येक उत्पाद के लिए पृथक रूप से दी जा सकती है।

8. स्वामित्व संबंधी विशिष्टियां

(क) क्या मालिकों/भागीदारी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/सहकारिता सोसाइटी हैः

(ख) यदि स्वामित्व के संबंध में कोई परिवर्तन किया गया है और पिछले एक वर्ष के भीतर किसी इकाई का गठन किया गया है तथा बोर्ड को समुचित समय में ऐसे परिवर्तनों की जानकारी देने में विफल हुआ है, उसके ब्यौरे को दें *(नवीकरण की दशा में लागू होगा)*

(ग) मालिकों/भागीदारों/प्रबंध निदेशक/अन्य निदेशक/सचिव के संबंध में ब्यौरा दें *(यदि स्थान पर्याप्त नहीं हैं तो अतिरिक्त शीट संलग्न करें)*

क्रम संख्या	पूरा नाम	स्थायी पता	वर्तमान पता	स्थिति (क्या मालिकों या भागीदार या प्रबंध निदेशक/निदेशक अथवा सचिव है)	मालिकों या भागीदारों या प्रबंध निदेशक/ निदेशक या सचिव के हस्ताक्षर

(घ)भागीदारी फर्म की दशा में तथा कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम विलेख और निगमन के प्रमाणपत्र की दशा में फर्म के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण के विवरण सहित भागीदारी विलेख की तारीख कथित करें। *(नये आवेदन की दशा में भागीदारी फर्म अथवा कंपनियों की दशा में निगमन के प्रमाणपत्र और संगम ज्ञापन और संगम विलेख अथवा सोसाइटियों की दशा में उपविधियाँ, जो भी लागू हो, फोटो कापी दें)*	
(ड.) क्या प्रस्तावित कार्यालय और कारखाना परिसर आवेदक द्वारा स्वामित्व पर अथवा पट्‌टे पर ले लिया गया है। *(नये आवेदन की दशा में स्वामित्व अथवा कब्जे के अधिकारी को साबित करने के लिए संबंधित सुसंगत दस्तावेजों की फोटोकापी देगा।)*	
च) क्या मालिकों अथवा भागीदारों या इकाई के निदेशक किसी भी समय रबड़ डीलर या संसाधक या रबड़ माल विनिर्माता या किसी अन्य अनुज्ञप्ति प्राप्त रबड़ डीलर या संसाधक या विनिर्माता का अभिकर्ता या रबड़ डीलर के अथवा संसाधक के या विनिर्माता के अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक होना।यदि हाँ, ब्यौरे दें।	

9. प्रतिष्ठापित मशीनरी की सूची

(नये आवेदन की दशा में, सभी विशिष्टियाँ दें और मशीनरी के बीजक की फोटेप्रति संलग्न करें। नवीकरण की दशा में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान खरीदी गई, यदि कोई है, मशीन के बीजक की फोटोप्रति संलग्न करें और सभी विशिष्टियाँ दें)

क्रम संख्यांक	मशीनरी का नाम	मशीनरी के पूर्तिकार का नाम और पता	बिल संख्या और तारीख	मूल्य (रुपये)

10. आवेदन की तारीख से आवेदन की कुल स्थिर आस्तियों का मूल्य (नवीकरण की दशा में पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से)

(मालिकों या फर्म या कंपनी अथवा सोसाइटी द्वारा स्वामित्वाधीन अचल संपत्तियों और अन्य आस्तियों के ब्यौरे)

(क) भूमि		कुल रुपये
(ख) भवन		
(ग) संयंत्र और मशीनरी		
(घ) ऐसा कोई अन्य मद जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं है		

(नवीकरण आवेदन की दशा में इस प्ररूप के साथ नवीनतम तुलन पत्र की कापी अग्रेषित होगी)

11. विवरण सहित व्यक्तिगत भागीदारों, यदि कोई हो, स्वामित्वाधीन आस्तियों की विशिष्टियाँ

(भागीदारी फर्म की दशा में)

(क) अचल आस्तियाँ

नाम	अचल संपत्ति	विस्तार	सर्वे संख्या	ग्राम	तालुका	लगभग बाज़ार मूल्य
(ख) अन्य आस्तियाँ (ब्यौरे दें)						

12. विवरणी के संबंध में विशिष्टियाँ (नवीकरण की दशा में लागू होना)

(क) तत्काल वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर तक की अवधि के लिए क्या आपने प्ररूप "एम" विवरणी में अर्धवार्षिक विवरणी दी है।	(ख) यदि आपका उत्तर 'हाँ' है तो वह तारीख दें जिसको बोर्ड को अंतिम अवधि के लिए विवरणी को भेज दिया गया था।	(ग) बोर्ड में प्ररूप "के" और "एल" में मासिक विवरणों को किस माह तक दे दिया गया है	(घ) विवरणियों का प्रस्तुत न करने के कारण, यदि कोई हो

13. रबड़ पर उपकर के प्रेषण *(नवीकरण की दशा में लागू होना)*

(क) रबड़ बोर्ड को संदेय रबड़ पर क्या कोई उपकर को बकाया है? यदि हाँ, तो निम्न लिखित विशिष्टियाँ दें।	(ख) अंतिम अवधि तक रबड़ पर क्या उपकर जमा कर दिया है अर्थात् तत्काल वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर तक? यदि नहीं, वह अवधि दर्शाएं जिस तक रबड़ पर उपकर जमा कर दिया गया हो:	(ग) विलंब के लिए कारणों को कथित करें, यदि कोई हो, रबड़ पर उपकर का संदायः
अवधि.............................		
रकम (रुपए)....................		

मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है

स्थान :

तारीखः

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित आवेदक का नाम

(भागीदारी फर्म के सभी भागीदार अथवा कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर होंगे)

टिप्पणीः

(1) यदि कोई आवेदक, मालिक या किसी यूनिट के भागीदार के रूप में बोर्ड द्वारा जारी अनुज्ञप्ति धारण करता है, किसी अधिनियम/नियम के अधीन विहित किसी विवरणी अथवा बोर्ड को देय किसी उपकर के संदाय के भुगतान नहीं करने के कारण ऐसे आवेदक को सभी लंबित विवरणियों तथा सभी व्यतिक्रम देय को देने के बाद जारी अनुज्ञप्ति पर विचार किया जाएगा।

(2) यदि आवेदन किसी अनुज्ञप्ति के लिए जो किसी यूनिट को पूर्णतः या भागतः मशीनरी क्रय के साथ किसी अन्य यूनिट से जिसने कि बोर्ड द्वारा जारी अनुज्ञप्ति धारण किया था अथवा किया है तथा यदि ऐसी अनुज्ञप्ति किसी विवरणी अथवा उपकर का व्यतिक्रम है, तो पूर्वाक्त स्वामी के नाम से देय सभी बकायों की निकासी के पश्चात् ही जारी अनुज्ञप्ति पर विचार किया जाएगा।

(3) नए आवेदन की दशा में, जारी की गई अनुज्ञप्ति निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों को पूरा करेगी।

(क) अनुज्ञप्ति को जारी करते समय यूनिट को उत्पाद को प्रारंभ करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटो प्रति प्रस्तुत करें

(i) प्रस्तावित परिसरों में उद्योग स्थापित करने के लिए लघु उद्योग अथवा विक्रय, क्रय या मूल्य वर्धित कर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या पंचायत अथवा नगरपालिका या नगरनिगम, प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुज्ञप्ति।
(ii) यदि बिजली संयोजन प्राप्त हो गया है, तो बिजली संयोजन के लिए शास्ती पत्र।
(iii) भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारी विलेख और यदि भागीदारी रजिस्ट्रीकृत है फर्म के रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
(iv) संगम ज्ञापन और संगम विलेख और कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी निगमन के प्रमाणपत्र, यदि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी है। सहकारिता सोसाइटियों की दशा में उपनियमों की प्रति।
(v) प्रतिष्ठापित मशीनरी के संबंध में क्रय बिल।
(vi) स्वामित्व/कार्यालय के कब्जा तथा कारखाना परिसरों के अधिकार को साबित करने वाला दस्तावेजः